संख्या–1311/49–3–2018/100(20)/2018.

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 09 जुलाई, 2018.

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिकोषण योजना के अंतर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–114/लेखा–अ, दिनांक 28 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिकोषण योजना के अंतर्गत 16 गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 107–केडिट सहकारी समितियों में निवेश, 04–अधिकोषण योजना के अंतर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूँजी, 30–निवेश/ऋण के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ प्रश्नगत योजना को पूर्ण किये जाने हेतु अपेक्षित व्यय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगणित धनराशि की सीमा तक सीमित रखेगें।

(2) प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति इस प्रकार निर्गत की जायेगी कि अधिक से अधिक जिला सहकारी बैंकों को एक ही बार में संतृप्त किया जा सके।

(3) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(5) लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के कियाकलपों एवं प्रगति की अनावरत रूप से समीक्षा/निगरानी इस प्रकार की जाय कि सम्बन्धित बैंक लाभ में हो तथा उन्हे पुनः किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता न पड़े। इसका दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता का होगा।

...2/

(6) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार, राज्य सरकार व नाबार्ड के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 दिनांक 16–2–2015 के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के अवशेष अंश को शीघ्रताशीघ्र अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

(8) आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक से सम्बन्धित वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप निर्देश दिनांक 30–3–2018 में निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(9) 16 बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16–2–2015 को भारत सरकार, नाबार्ड एवं राज्य सरकार के मध्य एम0ओ0यू0 के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपातपूर्ण करने हेतु रू0 1923.96 करोड़ की सहायता बैंकों को उपलब्ध कराई थी, उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्यित करेंगे।

(10) जिन बैकों को सहायता के रूप में धनराशि दी जानी है उनका जिलावार विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–18 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 107– केडिट सहकारी समितियों में निवेश, 04–अधिकोषण योजना के अंतर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूँजी, 30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई–2–यू0ओ0–730/दस–2018, दिनांक : 05 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

मो0 जुनीद
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन 1311(1)/49–3–2018, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी,)–प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरिटव बैंक लि0, लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।